

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क0स0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	90/25	2025/151	20.02.2025	रामकिशन बनाम तहसीलदार गंगापुर सिटी	24.11.2025	1 लगायत 2

1. रामकिशन पुत्र चन्दन जाति गुर्जर निवासी मोतीपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ।
—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी ।
—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित:—

अपीलार्थी की ओर से :— विद्वान अभिभाषक श्री रकम सिंह गुर्जर ।

रेस्पोडेन्ट की ओर से :— परोकार सरकार

अपील अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 124/2024 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मोतीपुर के आराजी ख0नं0 67 रकबा 0.01 है0 किस्म बारानी 1 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 08.01.2025 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को नोटिस दिया जाकर समुचित सुनवाई की गयी जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने बयान भी दर्ज करवाये हैं। उक्त बयानों में अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा हटा लिये जाने व मौके पर वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का स्वयं का कब्जा नहीं होने का कथन किया गया है। उक्त पत्रावली पर मौजूद मौखिक साक्ष्य का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गहनता से अवलोकन नहीं कर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 90/2025 रामकिशन बनाम तहसीलदार गंगापुर सिटी ।

मात्र पटवारी हल्का के बयान व पूर्ववर्ती रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किये जाने का दोषी मानते हुए आक्षेपित आदेश पारित किये जाने में भारी विधिक त्रुटि की गयी है। जो अपखण्डित किये जाने योग्य है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही परोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है।

अतः/व: परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार गंगापुर सिटी आदिनांक से दिनांक 31.03.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्ट कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 08.01.2025 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा काशत पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.01.2025 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी